



विद्युत उपभोक्ता क्या आप जानते हैं ?

• झारखण्ड राज्य में विद्युत वितरण लाइसेंसियों का विवरण एवं क्षेत्राधिकार :-

क्रम सं०	नाम	क्षेत्र जिसमें उनके द्वारा विद्युत वितरण एवं आपूर्ति की जाती है ।
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	पूरे राज्य में ।
2	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्षेत्र में (जिला - धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा)।
3	टाटा स्टील	जमशेदपुर टाउनशीप में ।
4	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, बोकारो	बोकारो स्टील सिटी टाउनशीप में ।
5	जुस्को	सरायकेला खरसाँवा जिला क्षेत्र में ।

• झारखण्ड राज्य के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का विवरण एवं क्षेत्राधिकार

क्रम सं०	वितरण नाम	लाइसेंस का नाम	उपभोक्ता फोरम का नाम	क्षेत्राधिकार (जिला)
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), राँची VUSNF, आरटीसन होस्टल नं० 3, धुर्वा, राँची । मो० नं० - 9430334748	राँची, खंटी, सिमडेगा, गुमला एवं लोहरदगा	
		2. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), हजारीबाग देवांगना चौक, कोर्ला चौक के नजदीक, हजारीबाग मो० नं० - 9431585584	हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा एवं रामगढ़	
		3. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), दुमका स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रीक सप्लाई एरिया, दुमका मो० नं० - 6201631274	दुमका, जामतारा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज	
		4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), चाईबासा पो०ओ० - करणडीह, पी०एस० - परसुडीह, सिंहभूम ईस्ट, जमशेदपुर मो० नं० - 9431373459	पुर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसाँवा	
		5. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), मेदनीनगर झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रीकसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रीक सप्लाई एरिया, मेदनीनगर मो० नं० - 9431355573	मेदनीनगर, गढवा, लातेहार	
2	टाटा स्टील	फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंजूमर्स नॉर्थ कासीडीह, ओल्ड बरदवारी, साकची, जमशेदपुर मो० नं० - 9471542823	जमशेदपुर टाउनशीप	
3	जुस्को	फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंजूमर्स रुम नं० - 06, आदित्यपुर, आदित्यपुर ऑटो क्लसटर, फेज 7, आदित्यपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसाँवा मो० नं० - 0657-2441731, 0657 76652310	सरायकेला खरसाँवा	
4	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, बोकारो	फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंजूमर्स नगर सेवा भवन, रुम नं० - 117, बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर-3	बोकारो स्टील सिटी टाउनशीप	
5	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF), मैथन सी०टी०सी० डी०भी०सी०, मैथन मो० नं० - 9431188437 9507513100	केवल दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्षेत्र	

• झारखण्ड राज्य के विद्युत लोकपाल / ओमबुड्समैन का विवरण

विद्युत लोकपाल/ओमबुड्समैन	श्री पी०पी० पाण्डेय मो० नं० - 9431188606 2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची - 834001
---------------------------	--

- उचित गुणवत्तापूर्ण बिजली पाना आपका अधिकार है ।
- विनियम (Regulation) पढे और अपना अधिकार जाने । विनियम/ Regulation आयोग के वेबसाइट www.jserc.org/Regulation.aspx पर उपलब्ध है ।
- जब जरूरत हो बिजली का इस्तेमाल करे, काम हो जाने पर स्विच को बंद करना न भूलें ।
- बिजली की चोरी करना एक दण्डनीय अपराध है । बिजली की चोरी को रोकने में मदद करें क्योंकि चोरी की गई बिजली के भुगतान का भार आप जैसे ईमानदार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है ।

- बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस को आवेदन देना है और आपको **विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43** के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर (**JSERC सप्लाई कोड रेगुलेशन** के अध्यक्ष रहते हुए) विद्युत कनेक्शन मिलना है ।
- यदि विद्युत उपभोक्ता के परिसर में बिजली बाधित है /कट गया है या बिजली सप्लाई में कोई शिकायत है या बिजली बिल से संबंधित शिकायत है तो वितरण कम्पनी के **शिकायत केन्द्र*** पर शिकायत करें तथा शिकायत नम्बर, समय और तारीख प्राप्त कर रखें । यदि आपकी शिकायत रेगुलेशन में निर्धारित समय के अंदर दूर नहीं की जाती हैं तब आप विद्युत अधिनियम की धारा - 57 के अंतर्गत रहते हुए आयोग द्वारा बनाये गये **स्टैन्डर्ड ऑफ पॉरफोरमेंस रेगुलेशन, 2015** में निर्धारित हर्जाने के हकदार हैं ।
- यदि विद्युत वितरण कम्पनी, विद्युत अधिनियम 2003 या आयोग द्वारा बनाये गये रेगुलेशन या वितरक के टेरिफ आर्डर में दिये गये नियमों का पालन नहीं करती है तो आप वितरक कम्पनी के शिकायत केन्द्र में शिकायत दर्ज कर शिकायत नम्बर, समय और तारीख प्राप्त करें । शिकायत का समाधान नहीं होने पर **उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (VUSNF)** के पास शिकायत दर्ज कराएँ, जिन्हें नियत समय के अंदर आपकी शिकायत का निराकरण करना है । यदि **VUSNF** के द्वारा आपके शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है या आप उपरोक्त फोरम के आदेश से असंतुष्ट हैं तो आप आयोग द्वारा स्थापित विद्युत लोकपाल/ओमबुड्समैन के यहाँ आवेदन/अपील करें।
- प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को **JSERC सप्लाई कोड रेगुलेशन के 8.2.16** के प्रावधान के अंतर्गत जमानत राशि (Security Deposit) पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस रेट पर वितरण कम्पनी से सालाना ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है ।
- प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को प्रत्येक माह उपभोक्ता को बिजली बिल/विपत्र देना अनिवार्य है। **विद्युत अधिनियम 2003 की धारा - 56 (2)** के अंतर्गत दो वर्षों से अधिक अवधि का विद्युत बकाया राशि कालबाधित हो जाती है।
- ट्रांसफॉर्मर में साधारण फ्यूज उड़ने पर शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 घंटे के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 24 घंटे के भीतर ठीक होना है । यदि उपरोक्त समय सीमा में फ्यूज ठीक नहीं किया जाता है तो प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा माँगने पर 25 रु प्रतिदिन की दर से वितरण कम्पनी द्वारा देय होगी ।
- त्रुटिपूर्ण या जले हुए ट्रांसफॉर्मर को शहरी क्षेत्र में अधिकतम 24 घंटे के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे के भीतर बदल देना है । यदि उपरोक्त समय सीमा में ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाता है तो मुआवजा माँगने पर प्रत्येक उपभोक्ता को 25 रु प्रतिदिन की दर से हर्जाना वितरण कम्पनी द्वारा देय होगी ।
- ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास परिसर का वैद्य अधिकार या स्वामित्व संबंधि दस्तावेज नहीं है वे भी **सप्लाई कोड के प्रथम संशोधन रेगुलेशन 2019** के अंतर्गत 2 KW तक का प्रोविजनल विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं ।
- ऐसे क्षेत्र में जहाँ दो या दो से अधिक विद्युत वितरण कम्पनियों का क्षेत्राधिकार है, वहाँ के विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत वितरण कम्पनी को **JSERC (ऑपरेशन ऑफ समानांतर विज्ञप्तिधारी) रेगुलेशन, 2019** के अंतर्गत बदल सकते हैं ।

*JBVNL का जिलावार शिकायत केंद्र का नम्बर - राँची, खूंटी - 9973653150, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा - 9608356155, पलामू, लातेहार - 6299304207, गढ़वा - 9117100709, हजारीबाग, चतरा - 7991176169, रामगढ़ - 9939578598, धनबाद - 7903881017, बोकारो - 7903491988, पूर्वी सिंहभूम - 7004713173, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला - 9708106863, दुमका, जामताड़ा - 9905306663, देवघर, गोड्डा - 6204208503, साहेबगंज, पाकुड़ - 6201806820, गिरिडीह - 7903811275, कोडरमा - 7004950728 ।

* JUSCO एवं TSL के शिकायत केंद्र का नम्बर - 0657-6646000

* SAIL Bokaro के शिकायत केंद्र का नम्बर - 8986871554

* DVC के शिकायत केंद्र का नम्बर - 9431704395

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनहित में जारी ।

आदेशानुसार

(आर० पी० नायक)
सचिव